निविदा सूचना

निगम द्वारा निम्न कार्यों के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त तथा शर्तों को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनॉक 27.04.2022 को अपरान्हन 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 11.04.2022 से **दिनांक 26.04.2022** तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी भी प्रकार का संसोधन निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
	निर्माण खण्ड–					
1.	चौखम्भा एवं गंगोत्री छात्रावासों एवं स्वागत कक्ष की छतों में पेन्ट लगाये जाने का कार्य।	1180.00	14000.00	02 माह	01 माह	"डी" एवम् उच्चतर
2.	ब्रेकरी आधारित ग्रोथ सेन्टर भीमताल।	2360.00	46000.00	06 माह	01 माह	"बी"एवम् उच्चतर
3.	पर्यटक आवास गृह, **भीमताल** के कक्षों का उच्चीकरण	2360.00	50,000.00	06 माह	01 माह	"बी" एवम् उच्चतर
4.	गरमपानी (कोश्यांकुटोली) के कैफे/टायलेट ब्लाक में **"विद्युतीकरण"** का कार्य।	1180.00	16,000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवम् उच्चतर
5.	पर्यटक आवास गृह, भीमताल के कक्षों (साहसिक पर्यटन) में **"विद्युतीकरण "** का कार्य।	590.00	7000.00	06 माह	01 माह	"सी"एवम् उच्चतर
	निर्माण खण्ड "ई"–निविदा					
6.	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 630/2021 विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खेतीखान में **सूर्य मन्दिर** का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।	**उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।**				
7.	पर्यटक आवास गृह, **ढिकुली** के उच्चीकरण का कार्य।	**उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।**				
8.	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 857/2021 विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत नौगांव स्थित **गुरू गोरखनाथ** के स्थान पर गुरू गोरखनाथ का भव्य द्वार बनाया जायेगा।	**उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।**				

शर्तेः– किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmvn.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

- क्रम संख्या (01), (02), (03), (04) एवं (05) के कार्य हेतु निविदादाता को निम्न शर्त का पालन करना अनिवार्य है।
- क्रम संख्या (04) एवं (05) के कार्य हेतु ठेकेदार को विद्युत विभाग में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1–निविदा केवल लोक निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर राशि नियमानुसार एफ0डी0आर0 के रूप में **महाप्रबन्धक,नि0 कु0म0वि0नि0** के नाम बन्धक होनी चाहिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2–निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, **PAN NO** तथा आयकर, पंजीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3–निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

4–अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।

5–निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

6–अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

7–अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

08–अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डयूटी लगाना आवश्यक है।

09–निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

10–यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुंगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11–उपरोक्त निर्माण कार्य निगम में उनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही कराये जायेंगे।

12–निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

13–निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।

14–ई–निविदा में Tender Download की तिथि एवं निविदा UP Load एवं खोले जाने की तिथि निगम वेबसाइड **www.kmvn.in** एवं **www.uktenders.gov.in** में देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (नि0)

(P.T.O.)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल

पत्रांक 83 /10–नि0/21–22 दिनांक 9/11 , 2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2–सहायक अभियन्ता नैनीताल/.काठगोदाम/चम्पावत/बागेश्वर को शैडूयल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।

3–सहायक अभियन्ता,कु0म0वि0नि0 ऊ0सिंह नगर /पिथौरागढ़ को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

4–अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड नैनीताल/काठगोदाम/चम्पावत/बागेश्वर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

5–मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

6–अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।

7–कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8–कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

महाप्रबन्धक (नि0)